Title: Moved the motion for consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 1998. (Insertion of new article 29 A, etc.) (Not Concluded)

16.24 hrs.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

The State shall provide uniform, free and compulsory education up to primary school level to all citizens.

सभापति महोदय, मेरा इस विधेयक को प्रस्तुत करने का एक व्यापक आधार और व्यापक दृष्टिकोण है। भारत का संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों की धारा ४५ के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया था कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि आजादी के दस साल के भीतर १४ साल तक की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये। लेकिन आज जब हम आजादी की ५०वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम दुनिया के सबल और एक अच्छे राष्ट्र के रूप में अपने को सिद्ध करने के प्रयास में लगे हैं, उस समय जब हम शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि विश्व के एक संगठन ठयूनेस्को' की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के दो-तिहाई निरक्षर भारत में निवास करते हैं - यह हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय मंत्री जी ने एक दिन प्रश्न का जवाब देते हुए इस बात को कहा था कि मानव की उत्कृष्टता की दृष्टि से दुनिया के १७४ देशों में हम १३९वे नम्बर पर हैं और पिछले सात-आठ वर्षो में हमारा स्तर और स्थिति लगातार घटी है, १३१वें स्थान से घटकर अब हम १३९वें नम्बर पर पहुंच गये हैं और इसमें कही कोई रुकावट की सूरत हमें दिखायी नहीं पड़ती।

हमारे देश में शिक्षा में परिवर्तन संबंधी अनेक आयोग गठित हुए। एक महत्वपूर्ण आयोग १९६४ में डा. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। उस कमीशन ने दो बड़ी वॉल्यूमिनस आकार-प्रकार की लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट दी। उसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उस रिपोर्ट में नेबरहुड स्कूल की चर्चा की गई। नेबरहुड स्कूल की चर्चा हमारे देश की संस्कृति, हमारी परम्परा की बड़ी पुरानी मिसाल है, जिसे हमारे देश में कृष्ण-सुदामा परम्परा कहा जाता था। जिसे आज चरवाहा विद्यालय के नाम से एक राज्य में चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। यह नेबरहुड स्कूल क्या है। दुनिया के बहुत सारे सम्पन्न देशों ने एक इलाके विशेष में सरकार की ओर से, सरकारी संस्थाओं की ओर से या स्थानीय निकायों की ओर से खोली हुई एक संस्था है। जिसमें एक इलाके का रहने वाला सफाईकर्मी, उस इलाके में रहने वाला डी.एम., उस इलाके में रहने वाला उद्योगपति और पूंजीपति आदि सभी वर्गों के लोगों के बच्चे अनिवार्यतः उसी विद्यालय में पढ़ें, जिससे कि एक नये संस्कार, एक नये समाज और एक नये व्यक्ति की रचना हम समाज में देख सकें, यही नेबरहुड स्कूल की कल्पना थी। हमारा यह विधेयक उसी कल्पना को लेकर है। सरकार इस बात का प्रयास करे कि हमारे देश में जो बच्चा पैदा होता है, अनिवार्य रूप से सरकार उसको प्राथमिक स्तर की शिक्षा देगी, अनिवार्य रूप से उसको बिना फीस लिये हुए शिक्षा देगी, अनिवार्य रूप से उसको एक जैसी एक तरह के लोगो की शिक्षा देगी। मैं समझता हूं कि आज प्राथमिक शिक्षा की स्थिति हमारे देश में लगातार खराब हो रही है।

सभापति महोदय, यहां ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही गई, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस सीमा तक कामयाब हुआ है। आज गांव में जो प्राथमिक ि वद्यालय हैं, जिनकी व्यवस्था पहले जिला बोर्ड, जिला परिषद की ओर से हुआ करती थी, जिनका उन पर एक अंकुश था, आधार था, उसको आज सरकार ने जिला परिषद के हाथ से अपने हाथ में ले लिया और अपने हाथ में लेने के बाद उसकी स्थिति और खराब हो गई। आज स्कूल नहीं है, प्राथमिक पाठशालाएं नहीं है, उन पाठशालाओं में अध्यापक नहीं हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। जिस देश की आधी आबादी के करीब निरक्षर हो, जिस देश की प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चे न हों, यह एक दुविधा और विडम्बना की स्थिति है, जिस पर आज सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है।

श्री मोहन सिंहः सभापति महोदय, इसीलिए हम बार-बार इस देश में इस बात को कहते रहे कि हमारे बजट का दसवां हिस्सा क्षिक्षा पर खर्च हो। मानव विकास के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन हम लगातार आठ-नौ पंचवर्षीय योजनाएं बनाते चले गए, परन्तु शिक्षा के ऊपर मात्र एक, दो, तीन या चार फीसदी से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। अब जो मंत्री जी आए हैं, वे कहते हैं कि हम इसको छः फीसदी कर देंगे। बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन वह खर्चा करने के बाद भी इन प्राथमिक विद्यालयों की और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की गुणवत्ता, उनमें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर, उसकी गुणवत्ता के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में जब हम उसके ऊपर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति बहुत ही अंधकारमय है।

समाज के सम्भ्रान्त लोगों ने अपने बच्चों को अलग शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कर ली है। संयोग से कल ही मैं एक ऐसे आवासीय विद्यालय में गया जहां प्राथमिक स्तर तक शिक्षा दी जाती है। वह निजी हाथों में है और निरे देहात में उस विद्यालय को खोलने का प्रयास किया गया है। मैंने बच्चों को यूनीफॉर्म में देखा। मैंने उनको सुना, सबके उच्चारण ठीक हैं। सबका कंठ अच्छा है। सबकी सेहत अच्छी है। सभी बच्चों को आवासीय विद्यालय में एक जैसे संस्कार, जाति व धर्म से ऊपर उठकर दिए जा रहे हैं कि हम मनुष्य हैं और भारत के नागरिक हैं। मैंने प्रबन्धकों से कहा कि आप ऐसे पुनीत संस्कार बच्चों में डाल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर व्यय कितना है, फीस कितनी है, तो मालूम हुआ कि एक वर्ष में विद्यालय में रहने, भोजन एवं पढ़ाई के खर्च के रूप में उनके अभिभावकों से ४५ हजार रुपए लिए जा रहे हैं। प्राथमिक से भी नीचे के स्तर की शिक्षा जिसको अब आप नर्सरी कह सकते हैं वहां से लेकर कक्षा पांच तक की शिक्षा के एक वर्ष में बच्चों के अभिभावकों से ४५ हजार रुपए लिए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, जिस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की आबादी सरकारी आंकड़ों के अनुसार १८ फीसदी के आसपास है और जो दूसरे आंकड़े आ रहे हैं उनके अनुसार ३० फीसदी है, तो उनके बच्चे ४५ हजार रुपए देकर इस तरह की शिक्षा लेने में क्या सक्षम हैं? हमने इस देश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं-शिलौंग, नैनीताल, मसूरी और शिमला तथा ऊटी आदि जगहों पर इस तरह के कॉन्वेंट स्कूल खोले हैं जहां अलग तरह के संस्कार दिए जाते हैं और जहां ट्यूशन

फी के रूप में २२ हजार से लेकर ३५ हजार रुपए तक लिए जाते हैं और थोड़े से, दिखावटी तौर पर ऐसे बच्चे जिनको मेधावी कहा जाता है, उन्हें बिना फीस के भर्ती किया जाता है। इस प्रकार से एक-दो प्रतिशत वे भी प्रवेश पा जाते हैं, लेकिन समाज की बहुसंख्यक आबादी, जिसकी क्षमता, जिसकी हैसियत इस तरह की फीस देने की नहीं है, उसके बच्चों का क्या होगा, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में क्या होगा?

सभापति महोदय, इस देश में एक बार पं. पन्त जी, इस देश के शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने एक नए तरह के विद्यालय खोलने की अवधारणा बनाई। उनको अब खोलने का प्रयास किया जा रहा है और उनको खोला जा रहा है, लेकिन उसमें भी पूरे जिले से कितने बच्चे आते हैं, यह देखने की बात है। इन विद्यालयों को न वोदय विद्यालय के नाम से जाना गया है। इनमें जिले से मुश्किल से २००-२५० बच्चों को ही प्रवेश देने की क्षमता है, जो बहुत ही कम है। इसलिए कम से कम प्र ाथमिक शिक्षा को हम समाज में एक जैसे इन्सान, भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले संस्कार पैदा करने के लिए भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं, तो कम से कम प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई-लिखाई अनिवार्य होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और बिना फीस के होनी चाहिए। तभी हम एक नए तरह का समाज इस देश में बना सकते हैं और तभी हम यह कह सकते हैं कि हम भारत को एक सभ्य देश बनाना चाहते हैं।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपने विधेयक को इस मंशा के साथ प्रस्तुत करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी मंशा को समझेंगे, मेरी भावना को समझेंगे और किस तरह विधेयक रखा जाए और किस धारा में जोड़ा जाए यह देखें। मैं इसको फंडामेंटल चैप्टर में जुड़वाना चाहता हूं क्योंकि जो नीति-निर्देशक तत्व हैं वे सरकार के प्रयास के कारण हैं, कारक तो हैं, लेकिन सरकार ने किस तरह के प्रयास इतने दिनों में किए हैं, उनका परिणाम हमने देख लिया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा अनि वार्य, निशुल्क और एक जैसी हो और अपने देश की जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना करने वाली सरकार बैठी है उसका यह बुनियादी कर्तव्य हो। तभी मैं समझता हूं कि यह बात इस देश में पूरी हो सकती है।

इन शब्दों के साथ, चूंकि आपने दो घंटे का समय निर्धारित किया है इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसका अनुकूल उत्तर देंगे और सभी माननीय सदस्य इसमें हिस्सेदारी कर सकें, उन सबको अवसर देने के लिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द): माननीय सभापति जी, आज सदन के बहुत विद्वान सदस्य माननीय मोहन सिंह जी ने अपने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए जो आख्यान सदन के समक्ष रखा है, उसमें हम सबकी सहमति भी है और समर्थन भी है। श्री मुरली मनोहर जोशी जी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कमांड रखने वाले सज्जन हैं, वे आज हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। पूरे देश की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं कि आखिर संविधान प्रदत्त जो हमारी व्यवस्थायें हैं, उनका हम स्वयं एजुकेशन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, कैसे ठीक से निर्वहन कर सकें और समाज को भी आलोकित कर सकें। मैं एनलाइटनमैंट पर नहीं कह रहा हूं, मैं मूल रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जो राष्ट्रीय एजेंडा है, उसके पैरा चार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें एक बिन्दू है-छह फीसदी सकल घरेलू उत्पाद जहां पहुंच रहा है वहीं गैर सरकारी व्यय बढ़ चुका है। लेकिन कमिटमैंट है कि हम पांचवीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्र ादान करने के लिए संविधान में किये गये प्रावधान को कार्यान्वित करेंगे। संविधान में पांचवी कक्षा तक बेसिक एजुकेशन को अनिवार्य करने के लिए फंडामैंटल राइटस में उसको शामिल करने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं हुई है जिसकी ओर माननीय सदस्य ने यहां इगित किया है। पूरे भारत में यदि देखें तो जहां बाल मजदूर अधिक हैं वहां बेसिक एजुकेशन अधिक नहीं है, उसके बारे में यह सदन और पूरा देश अवगत है। वे नन्हें मुन्ने बालक जिनके कंधों पर बस्ते होने चाहिए, वे सुबह सुबह एक झोला लेकर कचरा बीनने के लिए चल पड़ते हैं। इसके लिए वे कहां-कहां चक्कर काटते हैं तथा झूठन से अपने पेट की क्षुधा शांत करने के लिए सामान खोजते हैं। क्या यह तस्वीर अच्छी है?

पिछली बार माननीय श्री पी.वी. नरसिंह राव जी ने एक घोषणा की थी कि हम आठवीं स्तर तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन करायेंगे। आज उसकी स्थिति क्या है? आज कितने लोगों को वह भोजन मिल रहा है। क्या वह व्यावहारिक है? क्या उसकी अनिवार्यता को हमने रेखांकित किया है-यह सवाल हमारे सामने है। इस f वधेयक में जिन कारणों और उद्देश्यों का विवरण है उसमें गरीब लोगों के लिए स्पष्ट कहा गया है

People cannot afford to send their children to school for want of means.

वास्तव में यदि हमें इस देश का भविष्य ठीक करना है तो देखना होगा कि उन नन्हे मुन्ने बालक-बालिकाओं को जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, जो वनांचलों में रहते हैं, जो पहाड़ों पर बसते हैं, हम कैसे बैसिक एजुकेशन दे सकें? इस देश में बहुत तरह की बहस चला करती है। नयी शिक्षा नीति पर बातें चलती हैं। यूनी वर्सिटी कैम्पस से लेकर बुद्धिजीवियों की संगोष्ठियों में एजुकेशन सिस्टम पर बहस चलती है।

कि हम लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को कहां तक लागू करें, कैसे करें या कैसे न करें। यहां पर यूनीवर्सलाईजेशन ऑफ ऐजूकेशन पर शिक्षा की सर्व-व्यापकता यूनीवर्सलाईजेशन ऑफ बेसिक ऐजूकेशन की बहस चलती है लेकिन अन्ततः नतीजा क्या होता है। ऐजूकेशन, स्वास्थ्य स्टेट और खासकर पब्लिक वैल्फेयर स्टेट के अनिवार्य कर्तव्य में शामिल है लेकिन उसके बाद भी क्या हालत है। गांवों में यदि प्राईमरी स्कूल है तो भवन नहीं है, यदि प्राईमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो शिक्षक नहीं हैं, टाट-पट्टी नहीं है, चाक-मिट्टी नहीं है। कैसे हमारे देश के भविष्य अपने इस प्राथमिक दायित्व को पूरा करेंगे। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, हम अपने आपको अध्यात्मवादी देश के नागरिक मानते हैं और कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य के अंदर मनुष्यता का उदघाटन करने वाली सबसे बड़ी विधा है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है। इसलिए यदि हम संजीदगी के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं तो यह विधेयक अपने आपमें आने वाले समय के लिए रेखांकित करने वाला f वधेयक साबित होगा।

यहां पर चर्चा होती है कि हम ऐजूकेशन में आचार्य रामामूर्ति आयोग की विभिन्न सिफारिशों को लागू करेंगे। लेकिन उसके बाद स्टेटस की हालत क्या है, स्टेटस के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, सरस्वती वंदना पर क्या हंगामा किया जाता है - इस भारत भूमि में। वहां जब ठधर्म चक्र प्रवर्तनायः' पर हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य माननीय आडवाणी जी बोल रहे थे, मैं उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं मानता, लेकिन आखिर हम कहां जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जहां हम सब प्रकार की संस्कृति और संस्कार को शिक्षा से जोड़कर रखें, वहां यदि ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, हमारे शिक्षा मंत्री नान-ईशूज पर लड़ते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें।

साक्षरता के नाम पर जो चल रहा है, उस पर भी मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साक्षरता के लिए पिछली सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं बनाईं जैसे प्रौढ़ शिक्षा मिशन, गैर सरकारी आंदोलन हो या सरकारी आंदोलन हो, आज उनकी हालत क्या हो रही है। मध्य प्रदेश में बी.जी.वी.एस., भारत ज्ञान-विज्ञान समिति को पहले दिया गया, वह कुछ नहीं कर सकी। अब कलैक्टर के मार्फत शिक्षा और साक्षरता की बात की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इस शताब्दी का यदि सबसे बड़ा सरकारी फ्रॉड किसी को कहा जाए, तो साक्षरता को कह सकते हैं जहां कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ घोटाला हो रहा है। यदि उसी राशि को हम बेसिक ऐजूकेशन के क्षेत्र में डाल दें तो उसका रिजल्ट आएगा, उससे स्थिति में कुछ सुधार होगा। आज मेरे लोक सभा क्षेत्र के नवोदय विद्यालय की स्थिति क्या है, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मानव संसाधन मंत्री पूरे देश में घूम चुके हैं, वे जानते हैं कि कैसे-कैसे लोग, किस ढंग से निवास करते हैं और कैसे-कैसे विद्या अध्ययन करते हैं। महासुमन्द का नवोदय विद्यालय जब से ओपन हुआ है, वहां प्राचार्य नहीं है, भवन नहीं है, पहली क्लास में भर्ती नहीं हुई क्योंकि उनके पास भवन की व्यवस्था नहीं है। हम करें तो क्या करें। यह स्थिति है और इसीलिए लगता है कि कहीं न कहीं वैधानिक बाध्यताएं हमारे साथ हों, अनिवार्यताएं हमारे साथ जुड़ी हों, तब पूरे समाज का ध्यान बेसिक ऐजूकेशन की तरफ जाएगा, पूरे संस्कारों को ठीक करने की तरफ जाएगा, ऐसा मैं अपनी ओर से मानता हूं।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बेसिक ऐजूकेशन के मामले में पूरा देश आपके साथ है, पूरा सदन आपके साथ है, आप निरंतर इस विषय पर आगे बढ़िए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I support the Bill introduced by Shri Mohan Singh. Now, as we all know, there are two types of Rights provided in the Constitution. Unfortunately, the provision for primary education is provided as an unjusticiable right included in the Directive Principles of State Policy.

We have attained freedom 50 years ago. Half a century is over. It is high time now to review the situation prevailing in India. The United Nations Declaration is there. They have made a solemn Declaration that the entire humanity should be literate by the turn of the century. That is a Declaration which is made applicable throughout the globe. It is a global Declaration. In matters like population growth, India will be in the first position in the world by the turn of the century. We will surpass China in that respect and India is to become the first nation having the largest number of illiterate people. We are ashamed to say that our nation will have the largest number of illiterate people who do not know how to read and write. That is the present situation. After 50 years of freedom, we have not done much in the field.

At this stage, I must tell you something about my State, Kerala. Now, Kerala is a State where we have attained total literacy in the year 1990. Almost total literacy could be achieved through different missions. The Government took the initiative and there was a solemn declaration about eight years back that we have to achieve total literacy. This is a gradual process. In the process, many agencies worked hard to achieve this public goal. How did the State of Kerala achieve total literacy through different agencies? It was achieved not through Government machinery alone. Government machinery or the public schools are in a minority sector in the field of education. Most of the educational institutions belong to the private sector. They were able to achieve total literacy for the simple reason that there was earnestness of purpose. There was political will behind that move.

When I speak about Kerala, I will be doing injustice if I do not speak a word about the Christian missionary and their role in making Kerala a totally literate State. Christian missionary have played a significant role in converting the State into a literate State. They have opened up their schools in almost all the villages and are catering to primary education at the lower level. It is not only that.

In this respect, there is another significant factor which I will have to mention. I would have to mention about the service rendered by Shri Narayana Guru, the social reformer of the century. He has done yeoman's service. He was for upliftment of the backward communities which formed the bulk of the population. The majority of the people belong to the backward communities. There were people who were treated as untouchables. They were not allowed to use the public road. They were not allowed to study in Government schools. It was at that time he came to the forefront, organised the backward community, and had given the call that they become stronger through education. So, people of the backward community were compelled to make their attempt a success by educating themselves. No child was left without being sent to school.

Primary education is the most important public effort in the State. The entire State was declared as a literate State in 1990, making it a model to other States in India. This could be achieved because they have instituted a Literate Commission and with the efforts of the Commission, people at large and the library institutions there took active part in making the people literate.

We have libraries throughout the State. We had organised library movement in Kerala. In every village, three or four libraries with reading rooms are functioning. These libraries teach the illiterate people every night and that was done throughout the State. The library movement is run not through Government aid but it was through the strenuous work of voluntary organisations. They have organised the people and they were able to control the villagefolk and they were taught to read and write. In such a situation, the services rendered by the library movement will have to be commended upon and we will have to remember it. There were other organisations also like the youth organisations and other public organisations which played their role in making the State, a literate State. With the efforts of all these voluntary organisations, it was possible for the State of Kerala to declare total literacy.

Then we take the case of India, we have the National Literacy Programme. We are also doing some work under this Programme. But, fortunately some States have taken interest in propagating literacy in their respective States. But as a national effort, nothing has been done to achieve complete literacy. So, I would suggest the Central Government to provide adequate funds for the National Literacy Programme. Mere propagation is not enough. All the States must be encouraged and the organisations functioning in different States must be asked to propagate the idea of literacy throughout the nation. For that purpose, I would request the hon. Minister to make strenuous efforts to make this National Programme a complete success. Then only, our nation can become a proud nation.

Now, we are only having 50 per cent literacy in India. In order to achieve this goal of hundred per cent literacy, I would suggest that the primary education be made compulsory. It must be a justiciable Fundamental Right. Every child born in India should be given education. Child is entitled to get primary education. It is the primary duty of the nation to see that children are given education. For that purpose, I support the idea put forward by Shri Mohan Singh that primary education be made compulsory. It is there in the Directive Principles of State Policy. But that is not a Fundamental Right. So, it is not enforced through the court of law. So, it has to be made a Fundamental Right in our Constitution. Merely making it a Fundamental Right is not enough. We must provide necessary Budgetary provisions to all the States because the subject of education is in the Concurrent List. The Central and the State Governments should make all out efforts to see that the entire population becomes literate.

For that purpose, sufficient budgetary provision should be made and the National Literacy Mission, which is now under the Central Government, must be made more effective. It must be given all the encouragement by the Ministry of Human Resource Development and make the National Literacy Mission a complete success. Towards that end, primary education must be made a fundamental right.

In these circumstances, I strongly support the idea put forward by Shri Mohan Singh and I support the Bill.

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम (गढ़वाल) : सभापति जी, मैं माननीय मोहन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय और बहुत ही उचित समय पर इसे सदन में पेश किया है। प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य हो और सरकार का दायित्व हो कि प्राइमरी शिक्षा सब लोगों को दें, इसकी व्यवस्था करे, यह बहुत उत्तम विचार है। लेकिन इसे सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बना देना और यह कह देना कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, इससे मेरे दृष्टिकोण में कुछ फायदा होने वाला नहीं है।

आज हमारी शिक्षा प्रणाली जिस स्तर पर पहुंच गई है, जिस तौर-तरीके पर पहुंच गई है, अभी यहां नेबरहुड कॉसेप्ट का जिक्र किया जा रहा था, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा लेकिन आज हमारी शिक्षा प्रणाली का जो कांसेप्ट हो गया है, जो विचार हो गया है, उससे सिर्फ स्कूल जाना मात्र ही काफी नहीं है। बच्चों को अगर आप प्राइमरी स्कूल कम्पलसरी करे लेकिन उसके साथ-साथ यह भी जरूर बताए कि हम किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं। आज जो शिक्षा है, उसमें हम दो-तीन बातें देखते हैं। हम लोगों को लिटरेसी मिशन का बुखार चढ़ा है और हम यह चाहते हैं कि आदमी अपने दस्तख्त करना जान जाए, उस व्यक्ति को शिक्षित कहने में हमें आनन्द आता है लेकिन इससे राष्ट्र को कोई फायदा नहीं है। आप आंकड़ों का खेल कर सकते हैं। आप अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारे यहां नब्बे प्रतिशत लोग शिक्षित हैं लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आंकड़े तैयार करना या बच्चों को सर्टिफिकेट दे देना कि आपने इतने क्लास पास कर लिए हैं और वे नौकरी के लिए चक्कर काटते रहें चाहे समाज में उस प्रकार की शिक्षा की कोई वैल्यू न हो। इस प्रकार की शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम चरित्र निर्माण करें। शिक्षा से एक अच्छा नागरिक तैयार करें। हम व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की दिशा में तैयार करें।

आज जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, वे इस वजह से हो रही हैं कि शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार की विचारधारा से नहीं जोड़ा गया कि हम राष्ट्र के हित के लिए इस व्यवस्था का, इस तौर-तरीके का उपयोग करें। जब तक हम शिक्षा को चरित्र निर्माण के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम राषट्र हित के लिए शिक्षा को माध्यम नहीं बनाएंगे। शिक्षा को सिर्फ अनिवार्य करने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उससे नुकसान होगा।

जिस प्रकार की शिक्षा हम आज दे रहे हैं, अगर हम यह तय कर सकें कि इस विचारधारा के आधार पर हम शिक्षा दें तब उसे कम्पलसरी करने का फायदा होगा। अभी नेबरहुड कांसेप्ट की चर्चा हो रही थी, मैं उससे सहमत हूं। यह होना चाहिए लेकिन यह कैसे संभव होगा? आज जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे स्कूलों में है और जिस प्रकार से देश की शिक्षा नीति चल रही है, उसके अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, वे अपने-अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूलों में भेज सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी वे अच्छा नागरिक तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इतने-बडे-बड़े स्कूल अच्छा नागरिक पैदा नहीं कर पा रहे हैं बल्कि स्नॉब्स पैदा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं हैं शायद वे वेस्टर्न कल्चर के लिए अच्छे हों लेकिन हमारी संस्कृति और कल्चर के अनुसार वे नहीं है।

पहले हमारी शिक्षा का एक दृष्टिकोण था कि एक परिवार में एक छोटा बच्चा अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करेगा, किस प्रकार से वह पड़ौसियों के साथ व्यवहार करेगा और किस प्रकार से देश के हित में सोचेगा। आज शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सर्टिफिकेट लेना और पैसा कमाना हो गया है।

17.00 hrs.

मुझे इस बात को कहते हुए दुःख होता है कि ये स्कूल स्नोब्स पैदा कर रहे हैं। जैसा कि उदाहरण दिया गया, इन स्कूलों में ४५ हजार रुपए साल लिया जाता है, लेकिन ऐसे भी स्कूल हैं, जहां बच्चे १०-११ हजार रुपए हर महीने दे रहे हैं। छोटे-छोटे स्कूलों में इस स्थिति का होना कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में ऐसे स्कूल चल रहे हैं। इस स्थिति में हमको देखना चाहिए कि हम किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली दे रहे हैं।

आपने नेबरहुड कॉन्सैप्ट की बात कही है, यह कॉन्सैप्ट कोई नया नहीं है। पहले हमारे देश में गुरुकुल पद्धति थी। बच्चे गुरु के घर जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। राजा के बेटे राम, उसी गुरु के घर जाते थे, जहां गरीब का बच्चा भी पढ़ता था। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद हमारा दृष्टिकोण कुछ ऐसा हो गया है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, गुण हैं, उन सबको हम छोड़ना चाहते हैं। हम उनको भुलाना चाहते हैं। उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना चाहते हैं कि हम मॉड़न हो गए हैं, वैस्टर्नाइज हो गए हैं। अगर हम इन पुराने गुणों और पुरानी मान्यताओं को अपनायेंगे, तो हम बैकवर्ड कहलायेंगे या कम्युनल कहलायेंगे। मेरा आपसे निवेदन हैं कि आपको इस पर सोचना चाहिए। सदन में सरस्वती-वन्दना की बात कही गई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन हमारी जो ऐतिहासिक और पौराणिक विचारधारायें हैं, हमारे जो तौर-तरीके हैं, उनको अपनाने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। आपने नेबरहुड कॉन्सैप्ट की बात कही है, मैं उसका समर्थन करते हुए, आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं, वैसे तो आप जब जवाब देंगे तो बतायेंगे, हमें पुरानी प्रणाली को अ पनाने में क्या मुश्किल है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पुरानी संस्कृति और पुराने संस्कार वे-ऑफ-लाइफ हैं, जीवन किस प्रकार चलना चाहिए। हमें अपनी पुरानी संस्कृति और संस्कारों की आवश्यकता है।

महोदय, इस प्रकार की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई आसान काम नहीं है। अभी माननीय सदस्य, राधाकृष्ण जी, ने फन्डस की बात कही, मै उनको बताना चाहता हूं कि हमारा देश विशाल है और भौगोलिक परिस्थतियां भिन्न हैं, इसलिए धन की भी समस्यायें हैं। मेरे से पूर्ववक्ता ने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं, जो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं। कारण यह कि वे परिवार के अनिंग मैम्बर हैं। दस साल की उम्र या उससे पहले से भी वे कमाना शुरू कर देते हैं। यदि किसी परिवार में तीन-चार बच्चे हुए और एक बच्चा दिन-भर कूड़ा-कचरा उठाकर शाम को २०-२५ रुपए ले आता है, तो तीन-चार बच्चे मिलकर १००-१५० रुपए शाम तक कमा लेते हैं। इस समस्या का निपटारा आप किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार इन बच्चों को स्कूलों में लायेंगे, इस पर भी सरकार को विचार करना होगा।

जहां तक पर्वतीय क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र और वहां की विषम परिस्थितियों का सवाल है, इन क्षेत्रों की भी अपनी समस्यायें हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना चाहता हूं। यदि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपने वहीं मापदंड अपनाया, जैसे दिल्ली में तीन या चार किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइमारी स्कूल होना चाहिए, तो यहां तो बच्चे के माता-पिता साइकिल पर बच्चे को बैठाकर स्कूल छोड़ आयेंगे, लेकिन पहाड़ों पर बच्चों को दो-दो, तीन-तीन घन्टे पैदल चलना पड़ता है। ऐसे भी स्कूल हैं, जहां एक तरफ बच्चों को जाने में तीन घन्टे लगते हैं और दूसरी तरफ आने में चार घन्टे लगते हैं। इस प्रकार सात-आठ घन्टे लग जाते हैं। इस प्रकार की समस्यायों का किस प्रकार निपटारा करेंगे, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए।

माननीय मंत्री जी स्वयं एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि इसको कम्पलसरी बनाने की व्यवस्था के साथ-साथ इस बात पर भी विचार करें कि नागरिकों को हम किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली देना चाहते हैं और उसको सबकी सहमति के साथ लागू करें। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI KHAGAPATI PRADHANI (NOWRANGPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill moved by Shri Mohan Singh. I support its contention to make it compulsory, free and established residential schools. Kerala is a State where literacy percentage is cent per cent. The credit goes to the primary education. Unless one is educated in a primary school, he cannot be a literate. That is the first thing.

Then comes the higher education. So, we should give more stress to the primary education than any other education in order to improve the education of the people of our country.

Sir, I come from a place which is a tribal area. The percentage of literacy in the rural areas in my district is 10 per cent; the percentage in the district itself is 18 per cent and the percentage in the State is 35 per cent. The Government of India and our Constitution had given a privilege to the tribal and weaker sections. It says:

"The State shall promote with special care the educational economic interest of the weaker sections of the people and in particular of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and shall protect them from social justice and all sorts of exploitation."

Sir, this is the guarantee given by the Constitution. But after fifty years of our Independence, what we have achieved is only 10 per cent. There are many problems as far as giving education to the people is concerned. TRW schools are there. The Government of Orissa has established one hostel each in every Panchayat but there are limitations. Only 40 students can live in each hostel and get the stipend at the rate of Rs. 200 per month. You can imagine how a boy can maintain himself with Rs. 200. Out of this amount of Rs.200, about Rs.20 to Rs.30 is deducted from the stipend for soap, oil, clothing, etc. and with the remaining amount of Rs.170 or Rs.180 he has to get his food,
two meals a day, that is 60 meals per month.
Now, in a Panchayat, where the population is about 3,000 to 4,000, there are only 40 seats which are reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There are no residential schools for other classes in my constituency. With these 40 seats in a place where the population is 44,000, how do you expect that hundred per cent literacy rate can be achieved?
Now, the literacy campaign is going on in my constituency and a lot of money has been allotted for that. They are going to maintain a number of voluntary organisations to educate those people and also to improve their education. Unless we make a special provision for this, we are not going to achieve it.
I do not think that this Total Literacy Campaign programme will come to a success. The only reason behind this is this. We have established schools in every village, in every hamlet. There are three to four teachers in a school. As my previous friend has said, the teachers reside outside the village and they come from a far away place to attend the school and they sit in the school for one or two hours and go home.
We are spending a lot of money on the building of schools and paying salaries to the teachers, but still our people do not get education.
In my area, the dropout percentage in the primary education is 80, only 20 per cent of the people learn how to read and write.
What are we expected to get from this TLC? We are not going to spend any money on the voluntary organisations. The people in the voluntary organisations will teach 12 people in a group of houses. So, without paying any money and without giving any assistance to these volunteers who are working, how do you expect them that they can train or teach many more boys than the primary schools which are already functioning there? I draw the attention of the hon. Minister to this and request him to think over this matter about these TLC schools specially in backward and tribal areas where the percentage of literacy is very bad. I have already said that it is 10 per cent. If there is any doubt, it may kindly be verified. We have achieved it after 50 years. How many years will it take to make them hundred per cent literate, I do not know. I do not think that it can be achieved any time during this century or in the next century.

That is why I would suggest that the number of these residential schools should be increased and the stipend should be raised to a considerable extent so that the drop-outs can be reduced to a considerable extent. With this meagre amount no boy can stay there and maintain himself. That is why the percentage of the drop-outs is so high. We should try to reduce it to a considerable extent.

I wish that the Constitution is also amended, not only the provision in the Constitution for Scheduled Castes and Tribes of weaker sections of the people but the people in general also, I would like to suggest that it should be compulsory and free education should be provided to the boys in the residential schools so that we can achieve a percentage of literacy higher than what we are trying. I hope that in some areas the time may come when we may achieve hundred per cent literacy.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया जाए, इसके लिए माननीय सदस्य मोहन सिंह जी का जो प्रस्ताव है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं श्री मोहन सिंह जी को धन्यावाद देता हूं कि उन्होंने इतने अहम प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया।

सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा ही वह शिक्षा है जहां से सभ्यता, संस्कृति और मानव विकास की शुरूआत होती है। लेकिन वह शिक्षा आज बिल्कुल नहीं दी जा रही है। आज गांव के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में न भेजकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से खुले हुए निजी शिक्षा-संस्थानों में भेजते हैं। यह बहुत अहम और विचारणीय सवाल है कि ऐसा क्यों है? कौन सी वे स्थितियां हैं और कौन इसके लिए दोषी है, यह भी विचारणीय बात है। आज गांव में भी प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ी संख्या में खुलते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल होता है लेकिन निजी स्कूलों में ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। आज डर यह है कि अगर शिक्षा का आधार एक नहीं बनाया जाएगा तो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर भी हमला बढ़ता जाएगा। आज गांव के बच्चे शहरों के बड़े-बड़े विद्यालयों में जाते हैं। गांव के लोग किसी तरह से अपने खेत बेचकर अपने बच्चों का वहां नामांकन करा देते हैं लेकिन उसी विद्यालय में पांच लाख की गाड़ी से आने वाले बच्चे भी आते हैं। तब गांव के बच्चे अपने को गरीब पाकर हीन महसूस करते हैं।

इसलिए सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य रूप से इस ढंग की व्यवस्था करनी होगी कि चाहे राजा का बेटा हो या रंक का सब एक समान रहें। यदि एक समान रहने की व्यवस्था नहीं होगी, एक जैसे भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो जो गांवों के गरीब बच्चे हैं, वे मानसिक दृष्टि से कमजोर होना वहीं से शुरू हो जाते हैं।

जहां तक निजी स्कूलों में बच्चों को भेजने का सवाल है, मैं इसके तीन-चार कारण मानता हूं। एक कारण यह है कि आज प्राथमिक विद्यालय में रहने वाले शिक्षकों का राजनीतिकरण हो चुका है। मैं पूरे देश की बात नहीं जानता, मगर मैं जिस प्रांत बिहार से आता हूं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि प्राथमिक ि वद्यालयों में जितने शिक्षकों के पद होते हैं, उतने शिक्षक नियुक्त नहीं किये जाते। जहां नौ शिक्षकों की रिक्तियां हैं, वहां दो या तीन शिक्षक हैं। दूसरी बात यह है कि शिक्षक विद्यालय जाते भी नहीं हैं। राजनीतिकरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देहात की किसी चाय की दुकान पर धोखे से एक ईंट फेंक दी जाए तो किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का ही कपाल फूटेगा क्योंकि स्कूल छोड़कर चाय की दुकान पर बैठे रहना शिक्षकों का काम बन चुका है। इसलिए सबसे पहले राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वह शिक्षकों को स्कूलों में जाने के लिए मज़बूती से अपने वरीय पदाधिकारियों पर दबाव डालें और इसकी जांच हो ताकि शिक्षक स्कूल जा सकें।

दूसरा कारण मैं यह मानता हूं कि शिक्षकों की बहाली में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसके चलते भी योग्य और उचित शिक्षक नहीं आ पाते। मोहन बाबू को सुनकर आश्चर्य होगा कि एक विद्यालय में राम की कथा पढ़ाई जा रही थी। संयोग से डिप्टी इंस्पेक्टर जांच करने वहां चले गए। एक लड़के से उन्होंने पूछा कि बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो वह खड़ा होकर रोने लगा और रोते हुए कहा कि मास्टर साहब, हमने नहीं तोड़ा है, यह बगल वाला लड़का बदमाश है, इसने तोड़ा है। उन्होंने शिक्षक से पूछा कि यह बच्चा क्या उत्तर दे रहा है तो शिक्षक ने कहा कि इस बार गलती माफ कर दीजिए, यह लड़का बदमाश है, इसने ज़रूर धनुष तोड़ दिया होगा, इसकी मैं पिटाई करूंगा। उसके बाद वह हैडमास्टर साहब के पास गए। उन्होंने पूछा कि जब हमने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा तो बच्चा यह उत्तर दे रहा है और शिक्षक ऐसा उत्तर दे रहा है। आपने कैसे शिक्षक बहाल किये हैं? हैडमास्टर साहब ने कहा कि इस बार गलती माफ कर दीजिए। मैं इसका नाम काटकर निकाल देता हूं। इसको फिर से स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। वह स्कूल के सचिव के पास गए कि आपने कैसा प्रधानाध्यापक और शिक्षक बहाल किया है, तो उन्होंने कहा कि लड़के ने तो गलती कर ही दी, मैं वैसा ही धनुष खरीदकर दे देता हूं, फिर से उसे कोई नहीं तोड़ेगा।

जब इस तरह के शिक्षक और शिक्षा संस्थान चलाने वाली समिति के लोग होंगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण की व्यवस्था से जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, इस से भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। ऐसे महकमे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और केन्द्र सरकार को अ पने स्तर से व्यवस्था करनी चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से नियुक्ति न हों और जहां राज्य सरकारें आरक्षण से नियुक्ति करती हैं, वहां भी केन्द्र सरकार को ऐसा निर्देश जारी करना चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से नियुक्ति न हो सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य मोहन सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक राज्य सरकार का नाम लिये बिना कहा था कि प्रैक्टिकल रूप में एक चरवाहा विद्यालय एक राज्य में चलाया जा रहा था। मैं मोहन बाबू से कहना चाहूंगा कि जिस राज्य में आप चरवाहा विद्यालय की चर्चा कर रहे थे, उसे शिक्षा देने की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनैतिक दृष्टिकोण से चलाया जा रहा था। इस तरह से उसे चलाया जा रहा था कि जो कृषि फार्म की सरकारी जमीन है, उनको हड़पा जाए और एक जाति के लोगों के दखल में वह दी जाए ताकि उस जगह को राजनीति का केन्द्र बिन्दु बनाया जाए और वहां राजनीतिक कार्यालय खोले जाएं। इसलिए वहां का चरवाहा विद्यालय नहीं चल सका। आप बिहार का भ्रमण करें तो पाएंगे कि न कहीं भवन है, न कहीं शिक्षिका है, न शिक्षक है, न उनमें छात्र हैं, मात्र चरवाहा विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और एक जाति के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा किये हुए बैठे हैं।

इसलिए कि वहां सरकार की नीयत ठीक नहीं थी और न वहां सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि पढ़ाई हो सके। वह एक राजनीतिक स्टंट था, एक राजनीतिक व्यवस्था थी। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भगवान न करे कि देश के किसी हिस्से में उस ढंग के चरवाहा विद्यालय खोलने के प्रस्ताव आयें, नहीं तो अभी तो एक राज्य का दुर्भाग्य है, कही यह पूरे देश का दुर्भाग्य न हो जाए।

सभापति महोदय, पहले शिक्षक होते थे जो गुरू के रूप में पढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन अब जो शिक्षक विद्यालय में जा रहे हैं, वे गुरू के रूप में नहीं, मास्टर साहब के रूप में जा रहे हैं। गुरू शिक्षा देने का काम करता है और जो उनसे शिक्षा लेता है वह भी उस व्यक्ति को अपने गुरू के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन जब गुरू की नीयत ही ठीक नहीं है तो उस स्थिति में शिक्षा लेने वाले की क्या स्थिति होगी, यह आप सोच सकते हैं। आज शिक्षा का वातावरण कई राज्यों में समाप्त हो चुका है, जिसमें बिहार राज्य प्रमुख है। यहां केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी काफी विद्वान है। प्राथमिक शिक्षा के मामले में बिहार का कैसे कल्याण होगा, हम चाहते हैं कि वह इस बारे में गंभीरता से सोचें और कोई उचित राह निकालें।

सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो निजी विद्यालय हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। चूंकि ये व्यावसायिक विद्यालय हो चुके हैं। लेकिन इन पर रोग लगाने में तब तक कठिनाई होगी, जब तक कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को मजबूती से संख्या के अनुसार पदस्थापित नहीं किया जायेगा और वहां विद्यालय भवनों का निर्माण नहीं किया जायेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आज गावों में यह स्थिति है कि अगर कही शिक्षक है तो छात्र नहीं है और अगर छात्र हैं तो शिक्षक नहीं है। यदि दोनों हैं तो विद्यालय भवन नहीं है। यदि कहीं भवन हैं तो डस्टर और चाक तक विद्यालय में नहीं है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए आप आवश्यक कदम उठायें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र से संबंधित दो समस्याओं का जिक्र माननीय शिक्षा मंत्री जी से करना चाहूंगा। लगभग चार वर्ष से नवोदय विद्यालय सारण, जलालपुर प्रखंड के बंगला गांव में चल रहा है। पहले वहां टीचर ट्रेनिंग स्कूल था, जिसमें आपका विद्यालय चल रहा है। लेकिन सरकारी रूपया न मिलने के कारण वहां नवोदय विद्यालय का अलग से भवन नहीं बन पाया है। वहां जमीन उपलब्ध है। लेकिन बीच में मुझे जानकारी मिली कि वहां के पूर्व मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद जी यह विद्यालय वहां नहीं खोलने चाहते थे। उन्होंने बोम्मई साहब के जमाने में कोई आपत्ति पत्र भेजा था, जिस पर जांच शुरू हो गई। उस विद्यालय को दूसरी जगह ले जाने के लिए वे प्रयत्नशील रहे। लेकिन बोम्मई जी के जमाने में उनकी यह तिकड़म सफल नहीं हो सकी, विद्यालय वहीं पर चल रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि इस बिंदु से संबंधित सारे कागजात लेकर एक-दो दिन में मैं आपसे आपके कार्यालय में मिलूंगा और संबंधित पेपर्स आपको दूंगा। हम चाहते हैं कि विद्यालय का भवन बनाने के लिए आप केन्द्र सरकार से पैसे का आबंटन कीजिए, ताकि वह विद्यालय सुचारू रूप से चल सके और प्र

ाथमिक शिक्षा वहां सही ढंग से शुरू हो सके। चूंकि आज हम लोग यह मानकर चलते हैं कि नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति अच्छी है। वहां के बच्चे एक अच्छे माहौल का लाभ उठा सके, अतः आप उस स्कूल को सही ढंग से चालू कराइये।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जिस समय चंद्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे, मसरख में एक सैंट्रल स्कूल खोलने की स्वीकृति मिली थी। लेकिन राज्य सरकार उसके लिए जमीन नहीं दे सकी, जिसके कारण वहां सैंट्रल स्कूल नहीं खुल सके। हमने आपके यहां पत्र लिखा था, आपने मुझे उत्तर भेजा है कि वहां सैंट्रल स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जमीन उपलब्ध करा दें। मेरा आपसे यह निवेदन है कि वहां एग्रीकल्चर विभाग की ३२ एकड़ जमीन है, जो किसी काम में नहीं आ रही है। आप उस जमीन पर स्कूल खुलवाने हेतु राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगे। लेकिन तब तक अगर आप वहां स्कूल चलाना चाहते हैं तो वहां एक इंटर कालेज है, जिसका मैं सचिव हूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको विद्यालय चलाने के लिए और शिक्षकों के रहने के लिए जितने कमरों की जरूत होगी, मैं आपको उतने कमरों की व्यवस्था करके दे दूंगा, आप मसरख में सैंट्रल स्कूल चालू करा दें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री मोहन सिंह जी को बधाई देता हूं और साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि इस देश की शिक्षा चाहे जितनी प्रगति करे, बिहार की बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गंभीरता से सोचकर राज्य सरकारों पर निगरानी और अंकुश लगाने का काम करें।

श्री हीरा लाल राय (छपरा): सभापति जी, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है और श्री मोहन सिंह जी ने माननीय सदस्यों के दिल को छूने का काम किया है और जिसके माध्यम से पूरे देश की स्थिति की बात हो रही है, इसके लिए मैं उनका बड़ा अहसानमंद हूं। आज यह बात सही है कि संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि सबको शिक्षा दी जाए, लेकिन आज जो हालात हैं उनमें यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस देश में गरीबी बढ़ी है। हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ी है। इसका असर प्राथमिक शिक्षा पर भी पड़ा है। एक कवि ने कहा है- तुतलाता भोला बचपन बिकता हर दुकान में। यह देश की स्थिति है। जिसका बच्चा छोटा है, जिसके पढ़ने की उम्र है, वह पढ़ नहीं रहा है बल्कि पेट की आग को बुझाने के लिए दुकान में टहलुआ का काम कर रहा है। यह स्थिति आज देश में बनी हुई है। जो अनपढ़ लोग हैं वे भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं जिसके कारण देश में गरीबी और बेकारी इतने प्रबल रूप में प्र ाथमिक शिक्षा को इन्फ्लूएंस कर रही है, जिसका अंदाज नहीं है।

इस देश की जो स्थिति है उसमें यह आवश्यक है कि सबको प्राइमरी शिक्षा मुफ्त मिले और एक जैसी मिले। आज हम अपनी आजादी की ५०वीं साल गिरह मना रहे हैं, लेकिन देश में आज भी शिक्षा का एक पैटर्न नहीं कर पाए हैं और तरह-तरह की शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहां गांवों में जो पाठशालाएं हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी ठीक प्रकार से नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा प्रभावित हो रही है। इसके बारे में यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया। मैं तो बिहार के कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बताना चाहता हूं। १९६० के बाद से बिहार में जो कॉलेज खुले वे एक ही जाति और वर्ग के लोगों के लिए खोले गए। प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री होता था, उसकी ही जाति और उसके ही वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार में कॉलेज खोले जाते रहे और उसी जाति का व्यक्ति एस.डी.ओ., कलैक्टर और इंजीनियर बिहार में बनता रहा। तब तो लालू प्रसाद यादव नहीं थे। यहां हमारे ऊपर छींटाकशी की जाती है कि लालू प्रसाद ऐसा कर रहे हैं और वैसा कह रहे हैं। आप बताईए तब तो लालू प्रसाद जी नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि यह आज से नहीं बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस बात की जांच करा लें कि बिहार में ऐसा हुआ या नहीं।

1727 hrs. (Mr. Depupty Speaker in the Chair)

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जिस तरह से एक ही जाति और वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कॉलेज खोले गए, उस बात की जांच कराएं। उससे भी ज्यादा शिक्षा की स्थिति बदतर तब हुई जब लड़कों के नंबर बढ़ाए जाने लगे और बिहार में सब बी.डी.ओ. और मैडीकल आफीसर उसी जाति के लोग बनते चले गए। उस समय लालू यादव कहां था। उस समय तो लालू यादव स्कूल में पढ़ते रहे होंगे। इस प्रकार से छींटाकशी करके बिहार को बदनाम करने की कोशिश यहां की जाती है, वह ठीक नहीं है। इससे बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि पूरा देश बदनाम होगा। बिहार को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जाती है? यह वही बिहार है जहां भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, जहां भगवान महावीर पैदा हुए। जिसने राजेन्द्र बाबू, जयप्रकाश नारायण और डा. महमूद जैसे लोगों को पैदा किया। उस बिहार में विशेषरूप से जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है और सबसे अधिक लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसका दुनिया में नाम है। इसलिए बिहार का नाम बदनाम करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा की जो खराब स्थिति है वह केवल बिहार की नहीं है बल्कि पूरे देश की वही स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मोहन बाबू ने कहा कि एक लड़का कन्वेंट स्कूल में पढ़ता है या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो उसके अभिभावकों को ४५ या ३५ हजार रुपया सालाना फीस देनी होती है। देश में यह असामान्य स्थिति मौजूद है। मैं अपने पड़ोस के राज्य में अपनी रिश्तेदारी में गया। मैंने वहां देखा कि एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। मैंने पूछा कि क्या कारण है, तो पता लगा कि आज डिप्टी साहब आने वाले हैं। वे केवल इसलिए आने वाले थे कि उस ि वद्यालय में पढ़ा-लिखाई के बारे में शिक्षक की जांच होनी थी और वह शिक्षक, पास के किसी गांव में एक शादी को अटेंड करने गया था। उसके परिवार वालों ने महसूस किया कि आज उनके भाई की नौकरी चली जाएगी।

उसी का कुर्ता पहनकर वह भाई की जगह मास्टरी करने के लिए चला गया। वहां केवल दो ही लड़के थे। जब डिप्टी साहब और मास्टर साहब आये तो उनको मिलाकर चार लोग हो गये। जब लड़के से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरू जी कहां हैं तो वह लड़का थोड़ा हिचकिचाया और हिचकिचा कर भागने लगा। वे कुछ नहीं समझे। उन्होंने कहा कि काहे भाग रहे हो तो मास्टर भी घबरा गये। वहां एक आम का पेड़ गिरा हुआ था। वे तिरछे होकर दौड़े तो उस आम के पेड़ से गिरकर भागे। यह स्थिति बिहार की नहीं है। बिहार को बदनाम करने की साजिश है। आज पूरे देश की यही स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की बात की है, तो उसे निश्चित रूप से बनाना चाहिए और तेज तरीके से बनाना चाहिए। यहां पर जो भी बातें की गई हैं, मैं उन सबका समर्थन करता हूं।

अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने सैंट्रल स्कूल की बात कही है। वे हमारे छोटे भाई हैं। आपने यह लिख दिया कि सैंट्रल स्कूल छपरा में हो तो हम लोग आपस में क्यों झगड़ा करें। वह चाहे छपरा में हो या मथुरा में हो। हम लोगों को कम्प्रोमाईज कर लेना चाहिए। इसी तरह नवोदय विद्यालय के बारे में कहा गया है। नवोदय ि वद्यालय का बोम्मई साहब ने उदघाटन किया है। वह गरीब इलाके में है। वहां गरीब इलाके में एक स्कूल खुला हुआ है। बंगाल में पहले से चलता है। अगल-बगल में भी स्कूल हैं। मैं उन्हें बढ़ाने या हटाने के लिए नहीं कहता लेकिन नवोदय विद्यालय चले। आज मैं जानता हूं कि बंगाल में नवोदय विद्यालय ठीक से नहीं चल

रहे हैं। इसलिए दूसरी जमीन में होना चाहिए। मिसरिख में एजुकेशन बढ़ाने की बात कही गयी है। अगर आप वहां करेंगे तो हम सब साथ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बिहार की स्थिति बहुत खराब है तो आपको पूरा बल देकर बिहार की शिक्षा में सुधार करना चाहिए।

... (व्यवधान)

आपकी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है। आज अरबों में इस देश की आबादी हो रही है। अपना देश एक नयी सदी में जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि होने वाले नौनिहालों के साथ भेदभाव न किया जाये। उनके साथ पक्षपात न किया जाये। पैसे के बल पर आज जो अलग तरह की पढ़ाई होती है, उसमें एकरूपता लाई जाये तथा एक ही तरह का पाठ्यक्रम पेश किया जाये। मैं समझता हूं कि इससे देश में बैटर एजुकेशन होगी। इसे करने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री मोहन सिंह जी के विचार का समर्थन करता हूं।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): उपाध्यक्ष जी, आधे घंटे की चर्चा का समय हो गया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will start Half-an-Hour Discussion at 17.42 hours.

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : उपाध्यक्ष जी, देश के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए माननीय सांसद श्री मोहन सिंह जी जो संविधान संशोधन विधेयक लाये हैं, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश की शिक्षा व्यवस्था देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो भेदभाव की परम्परा थी, भेदभाव की व्यवस्था थी, वह आजादी मिलने के बाद भी यह भेदभाव की और विषमता की परम्परा नष्ट नहीं हो सकी। यह हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें धन के रूप में लक्ष्मी देवी को पूजा जाता है और जहां शक्ति के रूप में बजरंग बली यानी हनुमान जी की पूजा की जाती है।

हमारा देश ऐसा है जहां शिक्षा के नाम पर, सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, जहां पैसे के नाम पर लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है, वहां हमारा देश दुनिया का सबसे निर्धन देश है। जहां शक्ति के रूप में बजरंग बली जी की पूजा की जाती है, वह दुनिया का सबसे कमजोर देश है। जहां सरस्वती देवी के रूप में शिक्षा की पूजा की जाती है, वहीं हमारे देश में अनपढ़, निरक्षर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज जब हमारे कई सत्ता पक्ष के सम्माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लेते हुए सरस्वती वंदना की बात की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस धर्म व्यवस्था ने, जिन लोगों ने, जिस समाज व्यवस्था ने इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों को भगवान की पूजा के लिए मंदिरों में जाने की मनाही की, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की मनाही की, संस्कृत भाषा पढ़ने की मनाही की, आज वही लोग स्कूलों में जबरदस्ती सरस्वती की पूजा करने की बात थोप रहे हैं, जो उनके लिए शोभा नहीं देता।

... (व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम (गढ़वाल) : क्या आप एक मिनट के लिए यील्ड करेंगे। मैं आपको एक ईशू पर करैक्ट करना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

यह हमारा धर्म ऐलाव नहीं करता। हमारे वेद-व्यास, जो सबसे बड़े पूज्य भगवान हैं, वे एक दलित के पुत्र थे।

... (व्यवधान)

आप धर्म का गलत प्रचार कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : दलितों, शोषितों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते,

'सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से,

खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।

मैं यह बताना चाहता हूं कि भाषा और भगवान के नाम पर आज तक जो प्रतिबंध लगाया गया, उस प्रतिबंध को आज फिर से थोपने की कोशिश कर रहे हैं, यह जबरदस्ती क्यों? मैं इस चर्चा में उस का संदर्भ मात्र देना चाहता हूं, इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता।

हमारे देश में जो स्कूलों की व्यवस्था है, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज भी हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में विषमता फैली हुई है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। रईसों के बच्चों के लिए अलग स्कूल, अमीरों के बच्चों के लिए अलग स्कूल और गरीबों के बच्चों के लिए अलग स्कूल हैं। आप शिक्षा का स्तर देख लीजिए, देहात के स्कूल में पढ़ने वाला, जिला परिषद के स्कूल में पढ़ने वाले का स्तर देख लीजिए, कौर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी के स्कूल देख लीजिए और दूसरी ओर कॉन्वैंट स्कूल देख लीजिए। उन सारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग प्रकार की है। फिर इस देश के बच्चे का स्तर एक जैसा कैसे हो सकता है, उन्हें एक जैसा मौका कैसे मिल सकता है? इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो विषमता है, उसे नष्ट करने के लिए श्री मोहन सिंह जो संशोधन f वधेयक लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे देश में कई योजनाएं चलाई गईं नैशनल लिट्रेसी कैम्पेन चलाया गया, औप्रेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, उसके बावजूद भी आज हमारे देश के गांवों में पढ़ने वाला बच्चा, निर्धन, गरीब होने की वजह से, जिनके माता-पिता गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, हाथ पर, पत्ते पर खाने वाले लोग, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि ६-७ साल का बच्चा अपने माता-पिता, के साथ घर-संसार को चलाने के लिए, बेचारा स्कूल, बस्ता, किताबें छोड़कर रास्ते पर भटकता है, कहीं कागज चुनता है, कहीं कूडा-कचरा बेचता है, चाय की दुकानों, होटलों, कारखानों में काम करता है और वहीं उसका बचपना खो जाता है जो हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। बच्चे हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और इसीलिए इस देश के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हम एक तरफ क्वालीफिकेशन्स की बात करते हैं, एक तरफ मैरिट की बात करते हैं लेकिन मॉरिट किस चीज की होनी चाहिए, जब समान दर्जा नहीं मिलेगा, समान संधि नहीं मिलेगी, समान ऑपौरचुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर गुणवत्ता और मैरिट की बात किस आधार परकर सकते हैं। इसीलिए डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में, जैसे कि बुजुर्ग, हमारे सांसद ने कहा कि इस देश का जो उपेक्षित वर्ग है, जिनको शिक्षा से उपेक्षित रखा गया,

शिक्षा से वंचित रखा गया, जिस व्यवस्था में एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। जिस व्यवस्था ने शम्बूक को शिक्षा लेने के अपराध में हुए मार डाला, वही व्य वस्था आज भी इस देश में कायम है। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था ध्वस्त होनी चाहिए। लिखना-पढ़ना आना तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे बच्चों में विज्ञानवादी दृष्टिकोण भी आना चाहिए, मानवतावादी दृष्टिकोण भी आना चाहिए, समानता का, भाईचारे का दृष्टिकोण भी आना चाहिए, सैकुलर दृष्टिकोण भी हमारे बच्चों में आना चाहिए। इस प्रकार का शिक्षा का स्तर होना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम प्राइमरी शिक्षा तक सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। यह न हो कि कोई कॉन्वेंट में जा रहा है, कोई देहरादून स्कूल में पढ़ रहा है, कोई शिमला के स्कूल में पढ़ रहा है, कोई पंचगनी, महाबलेश्वर के स्कूल में पढ़ रहा है, कोई मुंबई के बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमारा बच्चा, जो गांव देहातों के स्कूलों में जाता है, जहां स्कूल का भवन होता है तो छत नदारद होती है, जहां ब्लैक-बोर्ड होता है तो चाक स्टिक नहीं होती, चाक स्टिक और ब्लैक-बोर्ड होता है तो शिक्षक नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, टीचर होता है तो विद्यार्थी नहीं होते, ऐसी हमारी शिक्षा की स्थिति आज देश में है।

इसीलिए इस विधेयक को समर्थन देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में गरीबी अमीरी की जो भेदभावमूलक शिक्षा व्यवस्था है, इसको बन्द करना है और सभी को समान मौका देना है, चाहे गांव देहात में रहने वाला हो, चाहे हमारे बहुजन समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे जंगल पहाड़ में रहने वाला हमारे आदिवासी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। जो विधेयक मोहन सिंह जी ने यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हमारे देश का बच्चा यह कह रहा है, हमारे ग्रामीण भाग में रहने वाले, देहातों में रहने वाले बच्चे कह हैं:

ठमानता हूं, मैं भटकता हूं, स्वर भरे कोई बुलाये तो,

रोशनी का मैं नहीं दुश्मन, दो किरण कोई दिखाये तो।'

उस शिक्षा की रोशनी की किरण को हमारा गांव का, देहात का बच्चा, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला हमारा गरीब का बच्चा देखना चाहता है, उससे उनको वंचित न करें। इसीलिए हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में प्राथमिक शिक्षा का समावेश करने का जो प्रस्ताव मोहन सिंह जी लाये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं मोहन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देकर जयभीम करता हूं।